अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भिनाय 449/13/2223 राज. सरकार बनाम महेश आदि

2019/00 44

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री चन्द्रवीर चौधरी श्री चन्द्रसिंह राठौड़	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
28.1.2020	पत्रावली पेश हुई । पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता रेस्पो0 उपस्थित। रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा अपील की पोषणीयता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति का आवेदन पेश किया गया जिसकी नकल पैरोकार सरकार को दिलवाई गई जिसका जवाब पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया । उभयपक्ष की आपत्ति आवेदन पत्र पर बहस सुनी गई । वास्ते आदेश आवेदन आपत्ति रेस्पो0 दिनांक 31.1.2020 को पेश की जावे 28/1/20 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
31.1.2020	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आपत्ति आवेदन पत्र द्वारा रेस्पो0 पेश की गई। आपत्ति आवेदन पत्र में रेस्पो0 द्वारा कथन किया गया कि हस्तगत अपील राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर 2018 ग्राम पंचायत पंडागा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 15.6.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि जा0दी0 की धारा 96 (3) एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों की सहमति एवं स्वीकृति से लोक अदालत द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है । अपने कथनों के समर्थन में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धाा 21 एवं ए0आई0आर0 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 3575 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि लोक अदालत में निर्णय प्रकरण की भौतिक एवं वास्तविक रूप से किसी पक्षकार के हितों का हनन होता है तो अपील पोषणीय है तथा इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया । अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.6.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर 2018 में शिविर ग्राम पंचायत पंडागा में वादी/रेस्पो0 के वाद का पैरोकार सरकार के जवाब, मौका रिपोर्ट एवं वादीगण के वाद के अभिकथनों को पैरोकार सरकार द्वारा स्वीकारते हुए वर्तमान ग्राम पंडागा तहसील भिनाय की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खसरा नंबर 2129 रकबा 0.49 है0 में पूर्वानुसार राजस्व नक्शे में सुधार की जावे, की स्वीकारोक्ति की गई है, जिसके आधार पर लोक अदालत द्वारा पक्षकारान की सहमति एवं स्वीकारोक्ति के आधार पर खसरा नंबर 2129 रकबा 0.49 है0 के संदर्भ में राजस्व नक्शे में तरमीम एवं सुधार के संबंध में निर्णय एवं डिक्री पारित की । तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा धारा 152 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर खसरा नंबर 2129 रकबा 0.49 है0 के स्थान पर खसरा नंबर 2129 रकबा 2.15 है0 का सुधार लिपिकीय त्रुटि मानते हुए दिनांक 22.1.2019 को दुरूस्त किया गया ।	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
	श्री श्री	

अधीनेस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.6.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्याय आपके द्वार शिविर 2018 में शिविर ग्राम पंचायत, पंडागा में पैरोकार सरकार की उपस्थिति में तथा उनके जवाब एवं स्वीकारोक्ति एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर लोक अदालत शिविर में वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । तत्पश्चात् लिपिकिय त्रुटि दिनांक 22.1.2019 को उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा दुरूस्त की गई ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधि0 1987 की धारा 21 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार " धारा 21 (2):– लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक पंचाट अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्य होगा और कोई भी अपील पंचाट के विरूद्ध किसी न्यायालय को नहीं की जायेगी ।"

इसी सिद्धांत को मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत ए0आई0आर0 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 3575 में प्रतिपादित किया गया है जिसके अनुसार " लोक अदालत ममें पारित अवार्ड के विरूद्ध जो कि पक्षकारान की सहमति से पारित किया गया हो, अपील संधारणीय नहीं है ।"

"Legal Services Authority Act, 1987-Ss. 21 and 22 - Settlement before Lok Adalat-Judicial Review- Right of a party to back out and challenge - Held, though award of Lok Adalat is not a result of a contest on merits, it has same binding effect as decree on compuomise - Cannot be challenged in Appeal - Cannot also be challenged in a petition u/Art. 226 of Constitution of India - Such award is an executable decree - Endeavour of legislature is to narrow down disputes between the parties, to avoid multiple litigations. "

उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं दृस्टांत के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि लोक अदालत में पक्षकारों की स्वीकृति/सहमति के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री की अपील संधारण योग्य नहीं है ।

पैरोकार सरकार का यह तर्क कि लोक अदालत में पारित निर्णय भौतिक एवं वास्तविक रूप से किसी पक्षकार के हकों व अधिकारों का हनन होता है तो अपील पोषणीय है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि हस्तगत अपील राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय द्वारा ही प्रस्तुत की गई है, न कि संभावित प्रभावित पक्षकारों के द्वारा । अपीलांट राजस्थान सरकार लोक अदालत के समक्ष की गई सहमति एवं स्वीकारोक्ति से पाबंद है । ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपील को संधारण योग्य नहीं माना जा सकता है।

अतः रेस्पो0/प्रार्थी का आवेदन पत्र बाबत् प्रारंभिक आपत्ति दिनांकित 28.1.2020 स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील पोषणीय नहीं होंने से खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 31.1.2020 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

31/1/20